

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :- 6ए0/प्राक्क - 10237/2017 - 1297 पटना - 15 ,दिनांक :- 22/6/18  
सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित) अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के बारुण प्रखंड के दुधार पंचायत में विद्यमान सुंदरगंज ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में पाईप विस्तार कर "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराने हेतु कुल 59.908 लाख रूपये (उनसठ लाख नब्बे हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश- राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित) अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के बारुण प्रखंड के दुधार पंचायत में विद्यमान सुंदरगंज ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में पाईप विस्तार कर "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराने हेतु कुल 59.908 लाख रूपये (उनसठ लाख नब्बे हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित) अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के बारुण प्रखंड के दुधार पंचायत के सुंदरगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना के वार्ड संख्या - 9 एवं 10 में पाईप विस्तार कर "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराया किया जाना है।

3. इस योजना के मुख्य अवयव यथा वितरण प्रणाली की मरम्मत, नये वितरण प्रणाली का कार्य, गृह जल संयोजन एवं पाँच वर्षों का परिचालन एवं रख-रखाव आदि शामिल है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0106-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215011020106 - विषय शीर्ष - 0106.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण

(II) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0104- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215017890104 - विषय शीर्ष - 0104.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण तथा

(III) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0105- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215017960105 - विषय शीर्ष - 0105.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी औरंगाबाद कोषागार से की जायेगी।

10/1/18

6. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - एम4-53/2007/3758 /वि0 दिनांक - 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सचिव द्वारा दी गयी है।

9. वर्ष 2018-19 के वार्षिक योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22/6/18  
(नवीन कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6ए0/वि0 1 - 10238/2017 - 1297 पटना - 15 ,दिनांक : 22/6/18

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रा0 सचिव/विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा - 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

22/6/18  
(नवीन कुमार)  
संयुक्त सचिव  
22/6/18